भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 642
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

642. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत नियोक्ता के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता को सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सूचित किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या का आंकड़ा है;
(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दर्ज किए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): सरकार के लिए देश में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। । इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) को अधिनियमित किया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और इसकी रोकथाम और संबंधित शिकायतों का निवारण करना है। यह अधिनियम उम्र, रोजगार की स्थिति या काम करने की प्रकृति को देखे बिना सभी महिलाओं को कवर करता है भले ही वो सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करती हो । यह अधिनियम 10 या इससे अधिक कर्मचारी वाले कार्यस्थल के नियोक्ता को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने लिए आंतरिक समिति (आईसी) गठित करने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। इसी तरह, इस अधिनियम उपयुक्त सरकार को 10से कम कर्मचारी वाले कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या शिकायत खुद नियोक्ता के खिलाफ हो तो मामले को दर्ज करने के लिए स्थानीय समिति(एलएसी) का गठन करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में नियोक्ता सहित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों सहित मामले के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

अधिनियम नियोक्ताओं पर अधिनियम के प्रावधानों के साथ कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, नोडल मंत्रालय होने के नाते महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों को नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए सलाह जारी करता है।

जिला और राज्य स्तर पर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कार्यस्थलों पर दर्ज किए गए और निपटाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या का डेटा बनाए रखने और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी उपयुक्त सरकार के राज्य के पास है। यौन उत्पीड़न के दर्ज मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र/जिला-वार विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****